मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-118-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2008—फाल्गुन 1, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2008

क्र. आर-1799-07-सीसी-अड़तीस.—मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 20 सन् 1978) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था अनुदान नियम, 2008 है.

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2000 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन निमयों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 20 सन् 1978) ;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, संस्था के अध्यापक से भिन्न कोई ऐसा कर्मचारी जिसका नाम संस्था के वेतन-पत्रक में उस हैसियत में नियोजित हुए रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो किन्तु उसके (कर्मचारी के) अन्तर्गत कोई ऐसा कर्मचारी नहीं आता है जिसकी नियुक्ति धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अननुमोदित की गई हो;

(घ) ''शिक्षा अधिकारी'' से अभिप्रेत हैं, जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी या संस्था में सेवारत कोई अध्यापक जो प्राचार्य या प्रधान अध्यापक (हेड मास्टर), की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उस हैसियत में नियुक्त किया गया हो;

(ङ) ''संस्था'' से अभिप्रेत है, ऐसा कोई अशासकीय स्कूल या उच्च शिक्षा संबंधी ऐसी कोई अशासकीय शिक्षण संस्था जिसे यथास्थिति राज्य सरकार से या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान तत्समय प्राप्त होता हो और जिसकी स्थापना, प्रशासन तथा प्रबंध मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई किसी सोसाइटी द्वारा किया जाता हो, किन्तु उसके (संस्था के) अन्तर्गत कोई ऐसी संस्था नहीं आती है जिसकी स्थापना, प्रशासन तथा प्रबंध,—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा; या

(दो) राज्य सरकार द्वारा; या

(तीन) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा; या

(चार) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, नियंत्रित, अनुमोदित या प्रायोजित (स्पान्सर्ड) किसी ऐसे अभिकरण द्वारा, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें; या

(पांच) मध्यप्रदेश नान-ट्रेडिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 20 सन् 1962) के अधीन बनाये गये तथा रजिस्ट्रीकृत किये गये या उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये समझें गये किसी अव्यापारिक निगम द्वारा, किया जाता हो;

(च) ''अनुदान'' से अभिप्रेत है, ऐसा अनुदान जो संस्था को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिया जाये तथा नियत किया जाए;

(छ) किसी संस्था के संबंध में ''प्रबंधन'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अर्थ के अंतर्गत उसका शासी निकाय तथा अभिव्यक्ति संस्था का प्रबंधन का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा;

(ज) ''स्कूल'' से अभिप्रेत है, अशासकीय प्राथमिक, मिडिल या माध्यमिक स्कूल;

(झ) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, किसी संस्था का कोई ऐसा अध्यापक जो कि यथास्थिति मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा या किसी विश्वविद्यालय या आयोग द्वारा किसी संस्था को या किसी नवीन विषय या किसी उच्चतर कक्षा को या विद्यमान कक्षा में, के किसी नवीन वर्ग (सेक्शन) को मान्यता प्रदाय किये जाने/संबद्ध किये जाने की शर्तों की पूर्ति करने के लिये नियोजित किया गया हो तथा संस्था के वेतन-पत्रक में जिसका नाम उस हैसियत में नियोजित हुये रूप में किसी पद के सम्मुख दर्शाया गया हो, किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अध्यापक नहीं आता है जिसकी कि नियुक्ति सन् 1978 अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन अननुमोदित की गई हो;

(ञ) ''वेतन'' से अभिप्रेत है, किसी अध्यापक या कर्मचारी को ऐसी दर से देय वेतन तथा अन्य भत्ते जो कि संस्था द्वारा अधिसूचित किये जायें;

(ट) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु परिभाषित नहीं है तथा यथास्थिति, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973), मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल विनियमन अधिनियम, 1975 (क्रमांक 33 सन् 1975) या मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 20 सन् 1978) में परिभाषित की गई हैं, जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करे, वही अर्थ होंगे जो उन्हें संबंधित उक्त अधिनियमों में दिये गये हैं.

3. **अनुदान के मापदण्ड.**—राज्य सरकार शिक्षा के प्रसार के प्रयोजन के लिये कार्यरत शासकीय शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये तथा वित्तीय संसाधनों एवं अन्य सुसंगत बातों को दृष्टि में रखते हुये, संस्थाओं को अनुदान देने के लिये मापदण्ड विहित कर सकेगी तथा उनमें समय-समय पर संशोधन कर सकेगी:

परन्तु उनकी भौगोलिक स्थिति या आकार के आधार पर पृथक्-पृथक् संस्थाओं के लिये पृथक्-पृथक् मापदण्ड नियत किये जा सकेंगे.

4. **अनुदान की पद्धति.**—(1) अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये दिया जायेगा;

(एक) इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के पास उपलब्ध निधियों को दृष्टि में रखते हुए;

(दो) अनुदान उन अशासकीय संस्थाओं को दिया जायेगा, जो धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करती हों.

(2) किसी भी संस्था द्वारा अधिकार के रूप में किसी अनुदान का दावा नहीं किया जायेगा किन्तु अनुदान केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जायेगा जो,—

(क) विगत पांच वर्ष तक अस्तित्व में रही हों; तथा

(ख) स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध हों, या मान्यता प्राप्त हों.

(3) अनुदान प्रतिवर्ष तथा ऐसी अधिकतम अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा नियम 3 में विनिर्दिष्ट किये गये सन्नियमों के अनुसार अवधारित किये जायें.

(4) शिक्षण संस्थाएं अपने समस्त लेखे, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी भी अभिकरण द्वारा लेखा परीक्षा कराये जाने के लिये उपलब्ध करवाएगी.

(5) किसी भी ऐसी शिक्षण संस्था को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा जहां जाति या सम्प्रदाय के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती हो.

(6) ऐसे किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्था या उसके किसी भाग को अनुदान नहीं दिया जायेगा जो सरकार की राय में अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं.

(7) ऐसे किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्था को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जिसे सरकार की राय में उसके समस्त स्त्रोतों से इतनी आय होती हो कि ऐसी आय उसके कृत्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने के लिये पर्याप्त हो.

(8) नई संस्थाओं की दशा में, अनुदान ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये स्वीकृत किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.

(9) अनुदान केवल उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किया जायेगा जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा हो.

(10) स्कूल समिति मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए.

(11) स्कूल में कार्यरत कर्मचारिवृन्द तथा शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हता, उनकी नियुक्ति के लिये बनाये गये भर्ती नियमों के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अनुसार होनी चाहिये.

5. **कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तें तथा निबन्धन.**—(1) प्रत्येक अनुदान प्राप्त कर रही संस्था का प्रबंधन अपने कर्मचारियों पर अन्य शर्तों में अनिवार्य रूप से यह शर्त अधिरोपित करेगा कि वे किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन की सदस्यता स्वीकार नहीं करेंगे और वे किसी राजनैतिक आन्दोलन या क्रियाकलाप में स्वयं अन्तर्वलित नहीं होंगे और न किसी अन्य प्रकार से उसे सहायता करेंगे या न ही वे किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य होंगे और न ही किसी निर्वाचन या किन्हीं निर्वाचनों में भाग लेंगे. वे अन्यथा रूप से किसी निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी होंगे, तथापि.—

(क) उन्हें ऐसी रीति में अपना मत देने का अधिकार होगा जिससे उनके मत की गोपनीयता प्रकट न हो;

(ख) केवल इस आधार पर कि उन्होंने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उन पर सम्यक् रूप से अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में अथवा किसी निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन में सहायता पहुंचाई है, यह नहीं समझा जायेगा कि उन्होंने इन नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया है.

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता हो कि कोई आन्दोलन या क्रियाकलाप इन नियमों के भीतर आते हैं या नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

6. **अनुदान के लिये पात्रता तथा निधि की व्यवस्था.**—(1) शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां भी संस्था को अनुदान की स्वीकृति के लिये आधार मानी जायेंगी तथा उन्हीं संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा, जिनके परीक्षा परिणाम राज्य सरकार द्वारा अवधारित सन्नियम के अनुसार हों.

(2) शासकीय संस्थाओं के लिये विहित अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखने वाली संस्था ही अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी.

(3) अनुदान प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र पर बजट में अनुदान के लिये उपबंध किये जाने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा.

(4) अनुदान स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर ज्येष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा. संस्था को अनुदान के लिये आवेदन किये जाने के आधार पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जायेगी.

(5) यदि कोई संस्था इन नियमों में विहित शर्तों तथा निबन्धनों और सन्नियमों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने में असफल रहती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त संस्था को कारण बताओ सूचना जारी की जायेगी और यदि संस्था का उत्तर समाधानप्रद न पाया जाये तो सक्षम प्राधिकारी अनुदान अस्वीकृत कर सकेगा.

7. **अपील.**—संस्था को, अनुदान स्वीकृत करने/वापस करने, अनुदान कम करने या उसमें परिवर्तन करने के आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा. अपील, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी.

8. **विद्यमान नियमों का निरसन.**—मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का निलंबन) नियम, 1978, मध्यप्रदेश संस्थागत निधि नियम, 1983, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने, सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1983, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति) नियम, 1988 तथा मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम 1979 निरसित हो जायेंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई मानी जायेगी.

No. R 1799-07-CC-thirty eight.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Anudan Ka Praday) Adhiniyam, 1978 (No. 20 of 1978), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha Anudan Niyam, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1 st April 2000.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Anudan Ka Praday) Adhiniyam, 1978 (No. 20 of 1978);

(b) "Appellate Authority" means the authority specified by the State Government for the purposes of these rules;

(c) "Employee" means an employee of the institution other than a teacher shown on the pay roll of the institution against a post as being in the employment as such but does not include an employee whose appointment is disapproved under clause (c) of Section 6;

(d) "Education Officer" means the District Education Officer or any other officer of the State Government or any Teacher serving in the institution not below the rank or Principal or Head Master by whatever name called, appointed by the State Government as such for the purposes of this Act;

(e) "Institution" means an non-Government school or non Government Educational Institution for Higher education for the time being receiving maintenance grant from the State Government established, administered and managed by a society registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) but does not include an institution established administered and managed by,—

(i) the Central Government; or

(ii) the State Government; or

(iii) a local authority; or

(iv) any agency managed, controlled, approved or sponsored by the Central Government of the State Government, as the State Government may by notification specify; or

(v) a non trading corporation formed and registered under the Madhya Pradesh non Trading Corporation Act, 1962 (No.20 of 1962) or deemed to have been registered thereunder;

(f) "Grant" means a grant given to the institution, as may be fixed by the State Government from time to time;

(g) "Management" in relation to any institution means the governing body thereof within the meaning of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) and the expression management of the institution shall be construed accordingly;

(h) "School" means non-Government Primary Middle or Secondary School;

(i) "Teacher means a teacher of an Institution employed in fulfillment of the conditions of recognition/ affiliation of an institution or of a new subject or a higher class or new section in the existing class by the Madhya Pradesh Board or Secondary Education or any University or the Ayog, as the case may be and shown on the pay role of the Institution against a post as being in the employment as such but does not include a teacher whose appointment is disapproved under clause (c) of Section 6 of the Act, 1978;

(j) "Salary" means salary and other allowances payable to a teacher or an employee at the rate as may be notified by the Institution.

(k) Words and expressions used but not defined in this rules and defined in the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the Madhya Pradesh Ashasakiya School Viniyaman Adhiniyam, 1975 (No. 33 of 1975) or, the Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Anudan Ka Praday) Adhiniyam, 1978 (No. 20 of 1978), as the case may be, shall us the context requires have the meaning assigned to in the respective said Acts.

3. **Norms for the grants.**—For the purpose of dissemination of the Education having regard to the requirements of working Government Educational Institution and keeping in view of the financial resources and other related matter, the State Government, may prescribe norms for granting the institution and may amend it time to time:

Provided that separate *criteria* for separate institutions may be fixed on the basis of their geographical positions or the size.

4. **Mode of Grant.**—(1) Grant shall be made subject to the following conditions :—

(i) keeping in view the financial fund available with the State Government for this purpose;

(ii) Grant will be made to those non-Governmental institution which imparts secular Education.

(2) No institution shall be entitled to claim any grant as a right, but only such institutions shall be provided with the grant which :—

(a) have been in existence for last five years, and

(b) are either affiliated or recognized by the School Education Department Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any University situated in Madhya Pradeh.

(3) Grant shall be sanctioned every year and for such maximum terms as may be determined by the State Government in accordance with the norms specified in Rule 3.

(4) Education institutions shall have to provide their accounts to be audited by any agency duly authorized by the State Government for this purpose.

(5) No Education Institution shall be sanctioned any grant where the Education is being imparted on basis of caste or and community.

(6) No such School or Education Institution or any part thereof, shall be sanctioned grant which, in the opinion of the Government is not entitled to receive the grant.

(7) No such School or Educational Institution shall be sanctioned any grant which in the opinion of the Government is itself are earning from all its sources, if such income as is sufficient to perform its efficient functioning.

(8) In case of new institutions, grant shall be sanctioned under such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.

(9) Grant shall be sanctioned only for those institutions where the rules for reservation as may be made by the State Government, are strictly complied with in the appointment and promotion for the teachers and employees.

(10) School Committee should have been registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);

(11) Educational qualification for the working staff and teachers in the school, should be in accordance with the minimum educational qualification prescribed for recruitment rules made for appointment for them.

5. **General terms and conditions of the service of employees.**—(1) Management of every institution receiving grant shall compulsorily impose on their employees the condition amongst other than that they shall not accept membership of any political party or organization and shall not involved themselves in any political movement or activity and shall not assist it in any form or not be a member of State Legislature or any local authority and shall not take part in any election or elections. He shall not otherwise interfere in any election process and shall not be a candidate in any election, however —

(a) they shall have the right to caste their vote in such manner that does not discloses the secrecy of their vote;

(b) It shall not be deemed to have been contravene the provisions of these rules merely on the ground that they have provided assistance in performing any duty duly imposed on him by any law time being in force or in conducting any election process.

(2) If any question arises whether any movement or activity falls within these rules decision of the State Government thereon shall be final.

6. **Entitlement to grant and arrangement of fund.**—(1) Achievements in the field of education shall also be a ground for institution in sanctioning grant and only those institution shall be given grant in which results are in accordance with the norms determined by the State Government.

(2) Institution maintaining the Teacher-Student ratio prescribed for Government Institution shall be entitled to receive the grant.

(3) Application regarding the grants shall be considered only after the provision for grant made in the budget.

(4) The application received for sanctioning of the grant shall be considered according to the seniority. No proceeding shall be initiated on the basis of the application made for the institution for grant.

(5) If any institution fails to satisfy the Competent Authority in respect of the terms and conditions and norms prescribed in these rules, a show cause notice shall be issued to the institution by the Competent Authority and if the replay of institutions is not found satisfactory the competent authority may refuse the grant.

7. **Appeal.**—The institution shall have the right to appeal the order of sanction/refund of grants, deduction or change in grants, before the appellate authority specified by the Government. The appeal may be filed within 30 days from the date of the order.

8. **Repeal of existing Rules.**—The Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Suspension of Teachers and Other Staff) Rules, 1978, Madhya Pradesh Sansthagat Nidhi Rules, 1983, Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Procedure regarding dismissal, removal of teacher and other staff) Rules, 1983, Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sansthan (Promotion of teacher and other staff working in the school) rules, 1988 and Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Recruitment of teachers and other employees) Rules, 1979 shall stand repealed. Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deem to have been made or fallen under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.